



Neutral Citation No. - 2026: AHC: 731

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या - 31559 सन् 2025

मो. अहमद

....याचीकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचीकाकर्ता के अधिवक्ता :- सत्य प्रकाश सिंह, सत्येन्द्र नारायण सिंह, सिद्धार्थ श्रीवास्तव
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता :- जी.ए., संजय कुमार यादव

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

1. श्री सिद्धार्थ श्रीवास्तव, याचीकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री किरन यादव, अधिवक्ता, श्री संजय कुमार यादव के संक्षिप्त धारक, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री पुनीत कुमार सिंह, राज्य-विपक्षी पक्षकार के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. यह जमानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत अभियुक्त-याचीकाकर्ता की ओर से मामला अपराध संख्या 339 सन् 2025, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 351(3) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4(2) के अंतर्गत, थाना - मुबारकपुर, जिला - आजमगढ़ में जमानत पर रिहाई हेतु दाखिल किया गया है।
3. याचीकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-याचीकाकर्ता निर्दोष है। उसे इसी मामला अपराध संख्या में झूठा फंसाया गया है और वह 31.07.2025 से जेल में बंद है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा जमानत पर रिहाई की स्थिति में न्याय की प्रक्रिया से भागने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है।
4. याचीकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में याचीकाकर्ता के विरुद्ध कथित कोई अपराध नहीं बनता। उन्होंने आगे निवेदन किया कि सह-अभियुक्त डेनिश @ सलीम, नावेद और अर्शद आजमी को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा तथा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 32486 सन् 2025, 32833 सन् 2025 एवं 33343 सन् 2025 में क्रमशः दिनांक 22.09.2025, 15.10.2025 और 25.09.2025 के आदेशों द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। याचीकाकर्ता जमानत पर रहने वाले सह-अभियुक्त व्यक्तियों के समकक्ष समानता की माँग कर रहा है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

5. प्रथम सूचना दाता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने कड़ा विरोध किया, किंतु इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि याचीकाकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

6. उन सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता तथा समर्थक साक्ष्य की प्रकृति, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका एवं प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करते हुए, किंतु मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

7. तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8. अभियुक्त-याचीकाकर्ता, **मो. अहमद**, जो उपरोक्त मामला अपराध संख्या में संलिप्त है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका तथा उतनी ही राशि में दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए:-

- I. याचीकाकर्ता साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- II. याचीकाकर्ता किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
- III. याचीकाकर्ता अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें नहीं डराएगा और विचारण में सहयोग करेगा।
- IV. याचीकाकर्ता विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तारीख पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अधीनस्थ न्यायालय उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

5 जनवरी, 2026

विभा सिंह

Translated Version, Not For Legal Use.